

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

मानला क्रमांक 0021/अ- 9(3)/2017-18

(1)	(2)	(3)
23-3-2018	प्रकरण तहसीलदार देवास की ओर से प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी (रा) देवास के माध्यम से प्राप्त। प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि, कार्यपालन यन्त्री, जल संसाधन संभाग देवास, के द्वारा पत्र क्रमांक 273/कार्य/2018/824 दिनांक 27.02.2018 के द्वारा पटपडी बांध के डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम जामगोद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61/मीन-1 रकबा 27.560 है. ग्राम आनंदपुर इंगरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 836/1 रकबा 4.290 एवं सर्वे क्रमांक 806 रकबा 11.760 है., ग्राम खटाम्बा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 रकबा 12.520 सर्वे क्रमांक 197/2 रकबा 19.920 कुल सर्वे क्रमांक 5 कुल रकबा 86.050 हे. भूमि में से 72.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने के लिए चिन्हांकित करने की मांग पर से संबंधित राजस्व निरीक्षक/मौजा पटवारी से जाँच करवाई गई। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम जामगोद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 66/मीन-1 रकबा 27.560 हे. मद अन्य शासकीय विभाग खसरा के कॉलम नं. 12 में उर्जा विकास निगम भोपाल दर्ज है, ग्राम खटाम्बा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 197/1 रकबा 12.520 हे. मद चरनोई, सर्वे नं. 197/2 रकबा 19.920 हे. में से पेकि रकबा 5.870 मद खसरा के कॉलम नं. 12 में दर्ज उर्जा विकास निगम भोपाल तथा ग्राम आनंदपुर इंगरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 806 रकबा 11.760 हे. मद शासकीय काबिल कास्ट व सर्वे क्रमांक 836/1 रकबा 14.290 हे. मद शासकीय चरनोई राजस्व भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग देवास को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा की गई है । तहसीलदार देवास तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नानुसार राजस्व भूमि पटपडी बांध की डूब में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है :-	

(2) मामला क्रमांक 0001/अ-19(3)/2017-18

अनु. क.	ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्र.	रकबा	मद	विवरण
1	जामगोद	66/अ-1	27.560	अन्य शाराकीय विभाग	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
2	खटाखवा	97/1 97/2	12.520 19.920 में से 5.870 हे.	चरनोई उर्जा विकास निगम	पहाड़। उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
3	आनंदपुर हुगरिया	806	11.760	शा.का. का.	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
		836/1	14.290	शा. चरनोई	उर्जा विभाग को आबंटन, वर्तमान में उर्जा विकास निगम भोपाल द्वारा पवन चक्की हटा ली गयी।
योग		5	72.000		

उक्त योजना के लिए इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-19(3)/ 2016-17 में ग्राम पलासी, सुतारीपुर, पांजरिया, हीरापुर, आगराबुर्जुंग तहसील उदयनगर के कुल 10 सर्वे क्रमांक की 72.00 हे. भूमि हस्तांतरण हेतु पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 निरस्त करते हुए भूमि पूर्व अनुसार मद में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

इस आदेश की प्रति वनमंडलाधिकारी, वन मण्डल (सामान्य) देवास, एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग देवास को भेजी जावे तथा प्रकरण तहसीलदार देवास को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि, वे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त मूल प्रकरण इस न्यायालय को लौटावें।

प्रति,
तहसीलदार,
देवास

कलेक्टर,
जिला देवास (म.प्र.)
जिला देवास (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला देवास म0प्र0

देवास, दिनांक 28.03.2018

पृ0क्रमांक/
प्रतिलिपि

रीडर/2018

1. - वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) जिला देवास।
2. - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग देवास।

कलेक्टर,
जिला देवास (म.प्र.)

पृष्ठ क्र : १

भूमि का धोरा हेक्टेयर में एवं करो का धोरा रुपये पैसों में

फार्म पी-II

खसरा

तिथि : १४/०९/२०१८ १७:०९

NIC-VER4-dewas



32596290290

ग्राम नामगाँव

हल्का -५३ नामगाँव

रा. नि. नं देवास ०१

तहसील देवास.

जिला देवास

वर्ष २०१८-२०१९.

क्रमिक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाल में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौसमी फाजलदार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गए भाग का क्षेत्रफल	खाने की भूमि						खाने के बख्त के क्षेत्रों में घोड़े गए	कैरिफल
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पट्टी का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	धान वर्ष की पट्टी	२ से ५ वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अथवा ५ वर्ष से अधिक	फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
६६/मिन-१	२७.५६० फॉरेस्ट रिजर्व २७.५६०	शासकीय									नया कलेक्टर महोदय के ग्या इलाक़ा व क्र ००२६/अ-१९(३)/२ ०१७-१८ में पंजीकृत जारी १६-०८-२०१८ एवं नया तहसील देवास के ग्या पत्र क्र १५३४/१-१/२०१८ देवास दिनांक ३०/०९/२०१८ के आलेख में सर्वे क्र ५६/मिन १ रकबा २७.५६० हे भूमि पट्टेपट्टी बांध की दृष्टि में जो रही वन भूमि के बदले केबलिंगक यंत्रांगण के लिए वन विभाग को हस्तगतमित किये जाने से अन्तर्गत किया गया ।

तहसीलदार
तहसील देवास (प.प्र.)

30 DEC